

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल टाईन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर 302006

क्रमांक एफ 1(7)(71)डीपीसी/सान्याअवि /2021/ 70326

जयपुर, दिनांक : 09.12.2021

-:: कार्यालय आदेश ::-

कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 14(36)कार्मिक/क-2/207 पार्ट-1 दिनांक 01.12.2021 द्वारा दिव्यांगजनों को सीधी भर्ती के साथ पदोन्नति में भी 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उक्त परिपत्र के संदर्भ में अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को विभाग के सभी सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधानों तथा दिव्यांगजन हेतु रोस्टर पंजिका संधारित किये जाने की पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।



(ओपीओ बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 1(7)(71)डीपीसी/सान्याअवि/2021/ 70327-36 जयपुर, दिनांक : 09.12.2021  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन/जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक(सत0 एवं प्रशा0), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. उप निदेशक(कार्यालय प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
7. प्रशासनिक अधिकारी(संस्थापन) मुख्यावास।
8. प्रभारी, संस्थापन (पी.-1-4) प्रशाखा, मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सिस्टम एनालिस्ट(उप निदेशक) को वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।
10. आदेश पत्रावली।



(उम्मेद सिंह)

अतिरिक्त निदेशक(सत0 एवं प्रशा0)